बर व तारीख अह
इस हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 13 / 2017

अनवानः–
बाबू सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति मजबी सा. लीलावाली तह0 संगरिया(फौत)
1 राजकौर पत्नी बाबू सिंह 2 जन्टा सिंह 3 भगवान सिह 4 मेवा सिंह 5 कश्मीर सिंह
6 बग्गू सिंह पि. बाबू सिंह जाति मजहवी सा. लीलांवाली।
7गुरजीत कौर पुत्री बाबू सिंह जाति मजहवी सा. लीलांवाली।

अपीलान्टस

बनाम

1 पारोरानी पुत्री सोहन सिंह पत्नी बन्ता सिंह पुत्र गजन सिंह जाति मजवी सा. खेडा वार्ड नं0 8 तह0 डबवाली जिला सिरसा।
2 छिन्द्र रानी पुत्री सोहन सिंह पत्नी चखर सिंह जाति मजवी सा. 1 सी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगरं
3 तहसीलदार (राजस्व)संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.8.08 बअदालत तहसीलदार संगरिया।
उपस्थितः– 1 श्री रमेश पुरोहित अभिभाषक अपीलांटस।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक ।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –21.01.2019

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 2 एलएलडब्ल्यु की कुल .760 है0 भूमि अपीलांट की माता को पुख्ता आवंटन थी है । अपीलांट की माता गुरनाम कौर ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी उक्त वर्णित भूमि की बाबत एक वसीयतनामा अपने एक मात्र नर संतान पुत्र अपीलांट के पक्ष में निष्पादित करवाकर उप पजीयक संगरिया में दिनांक 20.12.04 को पंजीबद्ध करवाया हुआ है। गुरनाम कौर के देहांत हो चुका है मुताबिक वसीयत गुरनाम कौर की उक्त वर्णित भूमि का अपीलांट की मालिक है। परन्तु रेस्पो0 1 व 2 सने वसीयत ककी जानकारी होने के तथ्य की जानकारी होते हुए भी विधि विरूद्ध तरीके से षडयंत्र पूर्वक कर्मचारियों से साजबाज करके प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण गुरनाम कौर के तीनों वारिसान के नाम करवा लिया जो निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

क–यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हे।

ख– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व प्रश्नगत भूमि पर मौका पर कब्जा की कोइ जांच नहीं की ना ही कोई रिपोर्ट ही ली। रेस्पो0 2 व 3 का कभी कब्जा नहीं रहा है।

ग–यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण स्वीकृत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया ना ही जबाब देही का अवसर दिया गया।

घ– यह कि प्रश्नगत भूमि की बाबत गुरनाम कौर ने अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा से वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष मं निष्पादित करवा दिया था गुरनाम कौर का देहांत हो चुका है मुताबिक वसीयत अपीलांट प्रश्नगत भूमि का खातेदार हो गया था इसलिए कानूनन भी अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिल खारिजी है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पो0 1 व 2 बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। दौराने अपील अपीलांट की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को हस्तगत अपील में पक्षकार संयोजित किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए उसकी माता की स्वअर्जित कृषि भूमि की वसीयत उसके पक्ष में पंजीबद्ध है। जिसके अनुसार प्रश्गत आराजी का नामान्तरण माता की मृत्यु उपरान्त उसके नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रश्नगत नामान्तरण विरास्तन दर्ज कर दिया गया । इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त कर वसीयत के अनुसार अपीलांट के नाम नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरण पूर्व खातेदार की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया गया है जो विधिवत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी अपीलांट की माता गुरनाम कौर को आवंटित थी जो बाद में खातेदारी हो चुकी है। अपीलांट की माता गुरनाम कौर द्वारा अपने जीवन काल में अपीलांट बाबू सिंह के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयत सम्पादित करवाई गयी थी। स्वअर्जित कृषि भूमि की वसीयत निष्पादित करवाने की गुरनाम कौर को अधिकारिता थी। जबकि हस्तगत नामान्तरण वसीयतकर्ता की मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार हस्तगत नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व वसीयत की जांच कर सभी पक्षकारान की सुनवाई कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं0 293 चक 2 एलएलडब्ल्यु तह0 संगरिया स्वीकृति दिनांक 12.02.08 निरस्त किया जाता है। चूंकि अपीलांट बाबू सिंह भी फौत हो चुका है। इसलिए उसके विधिक वारिसान की जांच कर एवं समस्त पक्षकारान व रेस्पोडेन्टान की विधिवत सुनवाई कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official